

देश देशांतर : ब्रेकजटि समझौता (Brexit Agreement)

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

यूरोपीय यूनियन से ब्रिटन के अलग होने के समझौते पर ब्रिटन की मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। ब्रिटन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने पाँच घंटे की लंबी चर्चा के बाद ब्रिटन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने से संबंधित समझौते के प्रस्तावित मसौदे पर मुहर लगाई। लेकिन अभी इस पर संसद की मुहर लगनी बाकी है। इस बीच ब्रिटिश सरकार में उत्तरी आयरलैंड के मंत्री शैलेष वारा ने प्रस्तावित ब्रेकजटि समझौते के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटन के बीच करीब 585 पेज का एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है जिसको ब्रिटन के हित में बताया जा रहा है। ब्रिटन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे का कहना है कि यूरोपीय संघ के साथ ब्रेकजटि समझौते पर बने गतिरोध के संबंध में अपने कैबिनेट सहयोगियों से घंटों की बातचीत के बाद अब उन्हें सभी का साथ मिला गया है।

- 28 देशों वाले यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला तो ब्रिटन के लोग जून 2016 में हुए जनमत संग्रह में कर चुके हैं, लेकिन अब यूरोपीय संघ से ब्रिटन के बाहर निकलने की घड़ी करीब आ गई है।
- 29 मार्च, 2019 से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और 31 दिसंबर, 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में इसके तौर तरीके तय किये जा रहे हैं।
- इस डील को लेकर थेरेसा मे को उनके अपने और पराए सभी नशाना बना रहे हैं। उनकी सरकार के चार मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और कई धमकी दे रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे भी पद छोड़ने से नहीं कतराएंगे।

वर्तमान परिदृश्य

- बड़ा सवाल यह है कि ब्रेकजटि के बाद ब्रिटन का क्या होगा? ब्रेकजटि के मुद्दे पर ब्रिटन में दो-फाड़ दिखाई देता है। खींचतान सरिफ इस बात पर नहीं हो रही है कि डील ब्रिटन के लिये अच्छी या है बुरी, बल्कि कुछ लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ब्रेकजटि हो ही ना।
- ब्रेकजटि के वरिधी एक नए जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर लोगों से पूछा जाए कि क्या वे वास्तव में यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं?
- वहीं दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री थेरेसा मे कह चुकी हैं कि ऐसे जनमत संग्रह की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी ब्रिटन का यूरोपीय संघ से निकलने का यह फैसला अंतिम होगा। लेकिन इस फैसले को अंजाम तक पहुँचाने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पसीने छूट रहे हैं। वह फूँक-फूँक कर कदम रखने को मजबूर हैं।
- ब्रिटन आज ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री मे के सामने देश के आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती है।
- राजनीतिक तौर पर ब्रिटन भले ही यूरोपीय संघ से अलग हो जाए, लेकिन भौगोलिक तौर पर तो वह हमेशा यूरोप का ही हिस्सा रहेगा। साथ ही आमतौर पर दुनिया के लिये यूरोप का मतलब है यूरोपीय संघ, जिसमें ब्रिटन के निकलने के बाद 27 देश बचेंगे। यही संघ यूरोप की दिशा तय करता है।
- इसलिये प्रधानमंत्री मे के लिये ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ से भले ही ब्रिटन अलग हो जाए लेकिन इस प्रक्रिया में कड़वाहट कम-से-कम हो। इसीलिये ब्रेकजटि डील उनके लिये ज़रूरी है।
- दूसरी तरफ यह डील मे के वरिधियों के गले नहीं उतर रही है। उनका कहना है कि यह डील ब्रेकजटि जनमत संग्रह के जनादेश का सम्मान नहीं करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिटन को यूरोपीय संघ से अलग होने पर 50 अरब डॉलर की बकाया रकम चुकानी होगी। डील के वरिधी इसे अलग होने की कीमत बता रहे हैं।
- ब्रेकजटि की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर 29 मार्च को शुरू होगी और 31 दिसंबर 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। इस अवधि को ट्रांजिट पीरियड कहा जा रहा है, जिसमें यूरोपीय संघ और ब्रिटन को व्यापारिक समझौते करने का समय मिलागा।
- इस दौरान कंपनियों के पास अपने कारोबार को व्यवस्थित करने का वक़्त भी होगा। साथ ही यूरोपीय देशों के नागरिक भी 31 दिसंबर, 2020 तक बिना रोकटोक ब्रिटन आ जा सकेंगे।

डील से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- डील में जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा खींचतान दिखाई दे रही, वह है उत्तरी आयरलैंड के बॉर्डर का मुद्दा।
- उत्तरी आयरलैंड ब्रिटन का हिस्सा है जिसकी सीमाएँ यूरोपीय संघ के सदस्य देश आयरलैंड से मिलती हैं। दरअसल, ये दोनों हिस्से आयरलैंड द्वीप का हिस्सा हैं।
- ऐसे में ब्रेकजटि के बाद आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच सख्त बॉर्डर कायम करने के हक में न तो ब्रिटन है और न ही यूरोपीय संघ।

- लेकिन इसका मतलब है कि उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के कुछ नियम मानने होंगे। डील के वरिधियों को यह बलिकूल पसंद नहीं है कि उत्तरी आयरलैंड में नियम-कानून बाकी ब्रिटेन से अलग हों।
- प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील को अपनी कैबिनेट से तो जैसे-तैसे पास करा लिया। अब उनकी कोशिश है कि 25 नवंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में इस डील पर यूरोपीय नेताओं की मंजूरी हासिल करें। वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद इस डील को वह ब्रिटिश संसद में रखेंगी और यही उनके लिये अग्नपिरीक्षा है।

ब्रिटेन

- ब्रेक्जिट के बारे में जानने से पहले हमें ब्रिटेन के बारे में जानना ज़रूरी है। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम (UK) भी कहते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। UK जो कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा इंग्लैंड इन चार अलग-अलग हिस्सों से बनाता है।
- वहीं ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड तथा वेल्स से मलिकर बनाता है। आयरलैंड एक अलग देश है और कुछ छोटे-छोटे द्वीप समूह ब्रिटिश आईलैंड का हिस्सा हैं।

यूरोपीय यूनियन (EU)

- EU 28 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक पार्टनरशिप है। ये 28 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें क्योंकि इकॉनमी का एक सिद्धांत है, जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएँ और एकजुट होकर एक व्यापार समूह बनें।
- इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर 1993 में यूरोपीय यूनियन का जन्म हुआ। 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ।
- एकल बाज़ार सिद्धांत (single market principle) अर्थात् किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं एवं बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ़ पीपल एंड गुड्स EU की खासियत है।

ब्रिटेन (UK) EU का हिस्सा कब से है?

- सबसे पहले UK ने 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को जवाइन किया। लेकिन कुछ साल बाद ही वहाँ के एक राजनीतिक दल ने कहा कि हम जनमत संग्रह (referendum) कराएँगे कि EU में रहना है या नहीं।
- अगले 30 सालों तक कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ लेकिन 2010 के बाद से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके कारण फरि से जनमत संग्रह की मांग उठी। इस मांग में सबसे बड़ी भूमिका यूनाइटेड किंगडम इंडीपेंडेंस पार्टी (UKIP) की थी।
- समय के साथ UKIP की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसकी लोकप्रियता को समाप्त करने के लिये कंज़र्वेटिव पार्टी जो कि 2010 से 2015 के बीच सत्ता में थी, ने एक चुनावी वादा किया कि अगर हम सत्ता में पुनः आते हैं तो जनमत संग्रह करवाएँगे कि हमें EU में रहना है या नहीं।
- यह एक तरह से चुनावी वादा था जिससे कि UKIP के मतदाता कंज़र्वेटिव पार्टी की ओर आकर्षित हो जाएँ और उन्हें वोट दें जो काफी हद तक सफल भी रहा।
- 2015 में कंज़र्वेटिव पार्टी सत्ता में फरि से काबज़ हुई और डेवडि कैमरून दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
- कैमरून पर अपना चुनावी वादा पूरा करने का दबाव था। आखिरकार 2016 में उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा किया।

ब्रेक्जिट क्या है?

- यह मुख्यतः दो शब्दों Britain और Exit से मलिकर बना है जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (European Union-EU) से बाहर निकलना।
- जून 2016 में इसके लिये ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71 प्रतिशत मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था और इस प्रकार 52 फीसदी लोगों ने Brexit के पक्ष में मतदान किया।
- ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया।
- यूरोपीय संघ (निकासी) विधायक के कानून बन जाने के उपरांत इसने 2017 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम का स्थान ले लिया है।
- 29 मार्च, 2019 तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ देना है। ब्रेक्जिट डे यानी 29 मार्च, 2019 से ब्रिटिश कानून ही मान्य होंगे।
- 29 मार्च, 2019 से 21 महीने का संक्रमण चरण (Transition phase) शुरू होगा और यह दिसंबर 2020 के अंतिम दिनांक खत्म होगा।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये तैयार मसौदे को ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है।

EU से बाहर निकलने की मांग क्यों की जा रही है?

इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं-

1. सदस्यता शुल्क

- EU हर साल सदस्यता शुल्क के तौर पर ब्रिटेन से बिलियन ऑफ़ पाउंड लेता है तथा बदले में उसे बहुत कम राशिमिलिती है।
- यह राशालिगभग 13 बिलियन पाउंड है जो दूसरे देशों की अपेक्षा काफी अधिक है।
- सदस्यता के लिये EU के सभी 28 देश कुछ-न-कुछ राशालिगभग EU को देते हैं लेकिन ब्रिटेन के लिये यह राशालिगभग काफी अधिक है और बदले में उसे सिर्फ 7

बलियिन यूरो वापसि मलिते हैं। अतः UK (ब्रिटन) को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

2. प्रशासनिक अड़चन

- UK में कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के दौरान काफी अड़चनें आती हैं। बहुत अधिक डॉक्यूमेंटेशन तथा बहुत सारे कार्यालयों द्वारा काम होता है। कई सारी प्रणालियाँ हैं जिनको पूरा करना पड़ता है।
- तमाम ऐसे प्रतर्बंध हैं जिनसे UK के विकास में रुकावट आ रही है तथा यूरोपीय यूनियन UK को पीछे ढकेल रही है, उसे आगे बढ़ने से रोक रही है।

3. स्वायत्तता

- लोगों का कहना है कि EU इंग्लैंड को उसके अधिकारों और स्वयं कानून बनाने से वंचित कर रहा है। खासतौर से फिशरीज से संबंधित कानून।
- UK के चारों ओर फिशरीज इंडस्ट्री काफी विकसित है और इस उद्योग को लेकर नियम-वनियम EU के द्वारा बनाए जाते हैं।
- EU का संसद तय करता है कि UK के मछुआरे कतिनी मात्रा में मछली पकड़ सकते हैं तथा एक्सपोर्ट रेट क्या रहेगा।

4. अर्थव्यवस्था

- अगर यूरोपीय यूनियन से UK अलग हो जाता है तो वह अपने आपको फाइनेंसियल सुपर पावर बना सकता है क्योंकि लंदन को पहले से ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वहाँ का वित्तीय बाज़ार दुनिया के बड़े बाज़ारों में से एक है।
- जबकि EU द्वारा UK को ऐसा करने से रोका जा रहा है।

5. इमीग्रेशन

- यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीरिया में सविलि वार के चलते काफी संख्या में आप्रवासी भागकर यूरोप आ रहे हैं।
- इमीग्रेशन नीति भी EU तय करता है, न कि UK, अगर वह EU से हट जाता है तो उसे अपनी खुद की इमीग्रेशन नीति तय करने का अधिकार होगा।

जनमत संग्रह (Referendum) और उसका प्रभाव

- यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें सभी पात्र मतदाता हिससा लेकर अपनी राय दे सकते हैं कि EU में रहना है या इससे बाहर निकलना है।
- ब्रेकजटि की तारीख 29 मार्च, 2019 तय की गई है जिसके कारण ब्रिटन में ब्रेकजटि को लेकर मचा घमासान और तेज़ हो गया है क्योंकि समय काफी कम है और अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है।
- UK में 23 जून, 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि UK को EU में रहना चाहिये या नहीं। इसमें 72 प्रतिशत मतदाताओं ने हिससा लिया था।
- मतदान में 51.9 प्रतिशत मतदाताओं ने UK का EU से बाहर निकलने के पक्ष में मत दिया, जबकि 48 प्रतिशत मतदाताओं ने इसके विपक्ष में मतदान किया।
- इस परिणाम के बाद UK में बदलाव यह आया कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह EU से बाहर निकलने के पक्ष में नहीं थे।
- थेरेसा मे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसका असर यह हुआ कि मार्केट में अचानक गिरावट आ गई। शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर गया, UK की करेंसी की दर काफी नीचे गिर गई और लंदन स्टॉक एक्सचेंज अपने कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर जा पहुँचा जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दिया।
- ब्रिटन के घर-परिवार गरीब हो रहे हैं, कंपनियों निवेश को लेकर अधिक सतर्कता बरत रही हैं। प्रॉपर्टी बाज़ार ठंडा पड़ गया है।
- ब्रिटन की कुछ बड़ी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि ब्रेकजटि लागू होने की स्थिति में वे अपना कारोबार ब्रिटन से समेट सकती हैं। इसमें टाटा की जगुआर कार कंपनी और एयरबस शामिल हैं।
- इससे पहले ब्रिटन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकास का अगुवा हुआ करता था। लोगों को आशंका है कि ब्रेकजटि के बाद ब्रिटन में हालात और बिगड़ सकते हैं।

EU से बाहर निकलने की क्या है प्रक्रिया?

- EU से बाहर निकलने की प्रक्रिया लिसबन ट्रीटी (Lisbon Treaty) के आर्टिकल 50 में दी गई है। इस आर्टिकल को लागू करना होगा। अगर एक बार आर्टिकल 50 लागू हो जाए तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यह वापस तभी होगा जब सभी सदस्य देश इसके लिये सहमत हों।
- सदस्यता छोड़ने की शर्तों पर 27 सदस्य देशों की संसदों की सहमति लेनी ज़रूरी है जो एक लंबी प्रक्रिया है।
- लिसबन ट्रीटी EU को स्थापित करने वाली कुछ प्रमुख संधियों में से एक है। यह 2009 में लागू की गई थी।
- EU से बाहर निकलने के लिये दो साल का नोटिस पीरियड दिया जाना ज़रूरी होता है और यह उस दिन से शुरू माना जाएगा जब UK की संसद बाहर निकलने के फैसले को स्वीकृत कर देगी।
- बाहर जाने के बाद अगर कोई देश दोबारा EU में शामिल होना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। दोबारा शामिल होने जैसे प्रस्तावों पर आर्टिकल 49 के तहत विचार किया जाएगा।

ब्रेकजटि का भारत पर प्रभाव

- सरिफ ब्रिटन में 800 भारतीय कंपनियाँ हैं। जिनमें 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की 6 से 18 प्रतिशत कमाई ब्रिटन से होती है।

- भारत में कुल एफडीआई का 8 प्रतिशत हिस्सा UK से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे।
- भारतीय कंपनियों की ब्रिटेन में रुचि की एक बड़ी वजह यह है कि ब्रिटेन के रास्ते भारतीय कंपनियों की यूरोप के 28 देशों के बाज़ार तक सीधी पहुँच हो जाती है। जाहिर है जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलेगा तो इस बड़े बाज़ार तक आसान पहुँच बंद हो जाएगी।
- यूरोप के देशों से भारत को नए करार करने होंगे। इससे कंपनियों के खर्च में इजाफा होगा। साथ ही हर देश के नयिम-कानूनों का भी पालन करना होगा।
- UK ने हमेशा EU में भारत की तरफदारी की है और भारत का साथ दिया है, विशेष रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में।
- ब्रेकजट के बाद ब्रिटेन में काम कर रही भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाज़ार तक पहुँचने के नए रास्ते निकालने होंगे। इतना ही नहीं ब्रिटेन में बने उत्पादों पर भारतीय कंपनियों को यूरोपीय देशों में टैक्स भी देना होगा।
- जाहिर है ब्रेकजट के बाद जिन भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में पैसा लगाया है उनकी बैलेंसशीट पर सीधा असर पड़ेगा।
- ब्रिटेन पर दाँव लगाने वाली कुछ बड़ी भारतीय कंपनियाँ हैं टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महदिरा, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, वॉकहार्ट, सपिला, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब और कमसि।

नष्कर्ष

प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रेकजट डील को अपनी कैबिनेट से तो पारित करा लिया। अब उनकी कोशिश है कि 25 नवंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में इस डील पर यूरोपीय नेताओं की मंजूरी हासिल करना। वहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद डील को वह ब्रिटिश संसद में रखेंगी। यही उनके लिये अग्नपिरीक्षा है। डील के खिलाफ ब्रिटेन में जसि तरह का बवंडर उठा है, उसे देखते हुए संसद में प्रधानमंत्री मे को शकिस्त मिलनी तय मानी जा रही है। ब्रेकजट की पैरवी करने वाले हमेशा से संप्रभुता की दुहाई देते रहे हैं कि यूरोपीय संघ से निकलने के बाद वे अपनी कसिमत के मालकि खुद होंगे। लेकिन मौजूदा दौर की हकीकत यही है कि EU की ताकत उसकी एकता में है। थेरेसा मे के लिये यूरोपीय नेताओं की मंजूरी मिलना सबसे बड़ी चुनौती है।

ब्रिटेन आज ऐतहासकि मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री मे के सामने देश के आर्थकि, व्यापारकि और राजनीतकि हतियों को सुरक्षति रखने की चुनौती है। राजनीतकि तौर पर ब्रिटेन भले ही यूरोपीय संघ से अलग हो जाए लेकिन भौगोलकि तौर पर वह हमेशा यूरोप का ही हिस्सा रहेगा। आम तौर पर दुनिया के लिये यूरोप का मतलब है यूरोपीय संघ, जसिमें ब्रिटेन के निकलने के बाद 27 देश बचेंगे। यही संघ यूरोप की दशा तय करता है। इसलिये प्रधानमंत्री मे के लिये ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ से अलगाव भले ही हो लेकिन इस प्रक्रिया में कड़वाहट कम-से-कम हो।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/brexit-agreement>

